

प्रेषक,

सेवा में

उपायुक्त, गुरुग्राम।

M/s Spiti Township LLP,
G-14, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi - 110014.

क्रमांक 68 /एम0बी0

दिनांक 06/06/2023

विषय:-

Aravali Clearance to set up Residential colony under New Integrated Licensing Policy (NILP) on an area of LOI received for 10.05 acre in the revenue estate Village Gopalpur, Sector-99A, Gurugram - being developed by Spiti Township LLP (LC-4966) dated 07.12.2022 along with Chloris Real Estate Limited and Umaraman Infrastructure Private Limited.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, हरसरु व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, हरसरु ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 179/रीडर दिनांक 24.05.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली गई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार मौजा गोपालपुर, उप तहसील हरसरु, जिला गुरुग्राम में मु0नं0 45 का कीला नं0 24/1(1-0) की मालिक जमाबन्दी साल 2018-19 व इन्तकाल नं0 1857 से मैसर्ज उमारमन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 है व मु0नं0 45 का कीला नं0 24/2(7-0) व मु0नं0 49 का कीला नं0 2/1(3-4) की मालिक जमाबन्दी साल 2018-19 व इन्तकाल नं0 1858 से सपीती टाउनशिप मालिक है व मु0नं0 30 का कीला नं0 5(8-0), 6/1(1-0) व मु0नं0 45 का कीला नं0 13(8-0), 14/1(6-7), 16(8-0), 17(8-0), 18(8-0), 19(8-0), 25(8-0), 7/2(7-0), 8(8-0) व मु0नं0 49 का कीला नं0 1(8-0), 10/1(3-2), 10/2(4-0), 12/2/1(0-16), 13(0-18), 14/1(0-18), 15/1/1(0-17), 2/2(1-12), 9/2(4-5) की मालिक जमाबन्दी साल 2018-19 व इन्तकाल नं0 1851-1898 से मैसर्ज क्लोरिस रियल इस्टेट मालिक है। अवलोकन उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट बिन्दूवार निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़, बजड़ बीहड़ या रुद्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात उपरोक्त अराजी मुतनाजा की किस्म चाही है।
4. उपरोक्त कीला नम्बरान मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकीयत नहीं रही है।
5. उपरोक्त अराजी की जमाबन्दी साल 2018-19 की खेवट के खाना कैफियत में किसी न्यायालय के केस का हवाला दर्ज नहीं है।
6. उपरोक्त अराजी भूमि का रकबा SEZ(Special Economical Zone) में नहीं आता है।
7. उपरोक्त कीला नम्बरान की अराजी की खेवट/जमाबन्दी साल 2018-19 में धारा 4, 6 व अवार्ड का इन्द्राज दर्ज नहीं है।
8. उपरोक्त कीला नम्बरान की मलकीयत सम्बन्धित नकुलात साथ संलग्न है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 364-G दिनांक 19.05.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 23.12.2022

(M/s Spiti Township LLP) को गांव गोपालपुर, जिला गुरुग्राम के 10.0562 एकड़ एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि M/s Spiti Township LLP., having Rect. No./Killa No. 45//24/2, 49//2/1, 45//24/1, 45//7/2, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 30//5, 6/1, 49//1, 2/2, 9/2, 10/1, 10/2, 12/2/1, 13/1, 14/1, 15/1/1 Total Land Measuring 10.0562 Acre situated within the revenue estate at Village Gopalpur, Gurugram made a proposal to use this land for Setting Up of Township. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Company.,** whose land is located at **Village/city Gopalpur, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions.

अतः नायब तहसीलदार, हरसरु व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको village Gopalpur, Sec-99A, District Gurugram उक्त भूमि (रिपोर्ट में वर्णित खसरा/किला नम्बरान) की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरो पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरो की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।